

सावधि जमा योजना

1.	योजना का नाम	सावधि जमा योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	सावधि जमा योजनान्तर्गत इस बैंक में कम से कम एक वर्ष व अधिक दो वर्ष के लिये राशि जमा की जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2002-03
4.	लाभान्वित वर्ग	समस्त वर्ग/आमजन
5.	पात्रता	<p>व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से सावधि जमा खाता भूमि विकास बैंक में निम्न द्वारा खोला जा सकता है:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • किसी व्यक्ति (पुरुष) द्वारा स्वयं के नाम से। • दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से • अव्यस्क के नाम से उसके कानूनी संरक्षक द्वारा • विभिन्न संस्थाओं द्वारा। • जमाकर्ता/संस्था भूमि विकास बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
6.	देय सुविधाएं	सावधि जमा पर ऋण सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों

		को निर्धारित ब्याज दर से एक प्रतिशत से अधिक ब्याज देय है।
7.	आवेदन का तरीका	आवेदन पत्र के साथ परिचय पत्र / राशन कार्ड/ पेन कार्ड, फोटो प्रमाणित, प्रमाणित हस्ताक्षर आदि
8.	आवेदन कहां किया जावे	बैंक मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं संलग्न योजना में दर्शायी गयी 16 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	क्रम सं. 7 के अनुसार
10.	सम्पर्क सूत्र	उप महाप्रबन्धक लेखा एवं वित्त, प्रधान कार्यालय जयपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधित क्षेत्र व संबंधित 16 प्राथमिक बैंक के सचिव